

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- 415

dated: 30-06-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-01-12 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, (R &B), M.C. Shimla for construction of Ambulance and Fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate, Lower Jakhu Shimla in ward No. 16 (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja US. Club, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-01-12 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **21-06-2021 at 11:30 AM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Jakhu claiming rights in village forest area(s) **00-01-12 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Urban) were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Shimla (Urban) no application was received from Gram Sabha Jakhu claiming right in **00-01-12 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

(11)

आज दिनांक 10.03.2021 को समय 3:00 बजे वन अधिकार कमेटी उप-मण्डल स्तरीय बैठक, श्री मंजीत शर्मा (हि० प्र० से०) अध्यक्ष एवं उप-मंडलाधिकारी (ना०) शिमला शहरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. श्री सुमेध शर्मा | तहसीलदार शिमला (श०) | सदस्य सचिव |
| 2. श्री सुनील धर | पार्षद, नगर निगम शिमला | सदस्य |
| 3. श्री पूर्ण मल | पार्षद, नगर निगम शिमला | सदस्य |
| 4. श्रीमती रीता ठाकुर | पार्षद, नगर निगम शिमला | सदस्य (अनुपस्थित) |
| 5. श्री मनी राम ठाकुर | रेंज वन अधिकारी सदस्य | प्रतिनिधि वन मंडलाधिकारी (श०) |
| 6. श्री अशोक कुमार | भा० खा० नि० मनेजर (जनरल) | |
| 7. श्री संजय शर्मा | अधिशाषी अभियंता हि० प्र० वि० | |
| 8. श्री सुरिंदर सिंह राजडा | नक्शानवीस, नगर निगम शिमला | |
| 9. श्री विनोद कुमार शर्मा | नक्शानवीस, नगर निगम शिमला | |

बैठक में सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई।

बैठक में श्री सुरिंदर सिंह राजडा नक्शानवीस, नगर निगम शिमला की और से हाजिर हुआ जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित निर्माण कार्य सभा पटल पर रखे।

1. C/O Car Parking near kanlog bye pass road in ward No. 34, Khasra No. 695 area measuring 0.0252 hect. situated at Mohal kanlog, Tehsil and District Shimla.
2. C/O Car Parking opposite HPSEB Substation Kalibari Shimla Ward No. 2, Khasra No. 332/1, area measuring 0.0132 hect. situated at Mohal Kalibadi, Tehsil and District Shimla.
3. C/O Car parking opposite Roop Hardware Lakkar Bazar in ward No. 2, khasra No. 721, area measuring 0.1510 hect. situated at Mohal Tarahal, Tehsil and District Shimla.
4. C/O Ambulance and fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate, Lower Jakhu Shimla in ward No. 16, Khasra No. 845/1, area measuring 0.0112 hect., situated at Mohal U.S. Club, Tehsil and District Shimla.
5. C/O Ambulance road from Hanuman Mandir road to Sharma Niwas in ward No. 33 Khalini, Khasra No. 1066/2/1, area measuring 0.0575 hect., situated at Mohal Khalini, Tehsil and District Shimla.

बैठक में श्री संजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता हि० प्र० विश्वविद्यालय शिमला की और से हाजिर हुए जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित कार्य सभा पटल पर रखे।

1. Regarding Construction of proposed multi storeyed parking complex between Tennis Court and HRDC building in HPU Shimla, Khasra No. 548/1, area measuring 0.1050 hect., situated at Mohal Summer Hill, Tehsil Shimla (U) District Shimla.

attested copy

Addl. District Magistrate
SHIMLA

बैठक में श्री अशोक कुमार, भा० खा० नि० मेनेजर (जनरल)
शिमला की ओर से हाजिर हुए जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित कार्य सभा पटल पर रखे ।

1. Construction of Food Corporation of India, Regional Office building at Tutikandi Shimla, Khasra No. 821/1, area measuring 0.01275 hect., situated at Mohal Panjadi, Tehsil Shimla (U) District Shimla (H.P.).

उपरोक्त सभी प्रकरणों में उप मण्डल स्तर की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों ने चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से , सहमति जाहिर की है कि स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए उप मण्डल स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया व प्रस्ताव पारित हुआ कि उप मण्डल स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर जिला स्तरीय कमेटी को प्रेषित किया जाए ।

सदस्य सचिव तहसीलदार शिमला (श०)

अध्यक्ष एन उप-मंडलाधिकारी (ना०
शिमला (श०) जिला शिमला

L. Prasad

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), SHIMLA (URBAN),
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

**Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constitute
under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights) Act, 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Shimla (Urban) Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Manjeet Sharma, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Shimla (Urban), District Shimla (H.P.) on 10.03.2021 at 3:00 P.M. at Shimla (U), in which the application of the applicant of Municipal Corporation Shimla for diversion of forest land, Khasra No. 845/1, total area measuring 0.0112 hect., situated at Mohal U.S. Club of land in Forest Division Shimla (U) for construction of Ambulance and fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate, Lower Jakhu Shimla in ward No. 16, Tehsil Shimla (U), District Shimla (H.P.) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Jakhu was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place:- Shimla
Dated:- 16.03.2021

SDO(C)-Cum-Chairman
Sub-Divisional Level Committee

attested copy

Addl. District Magistrate

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा जोरख
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 5

दिनांक 24/1/17

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा जोरख की बैठक आज दिनांक 26/1/17
को 3:30 pm बजे स्थान जोरख में श्री / श्रीमति अर्चना शर्मा
की अध्यक्षता में की गई जिसमें जोरख गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल विल
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें सुंदरबन रोड/बन विभाग द्वारा नगर निगम द्वारा पट्टा/फ्लैट
के निर्माण के लिए 0.0112 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
1 मिसे/मि वीएसडी/मि अर्चना/मि वीएसडी/मि
2 c/o Ambulance row and fire brigade row/
the building in Dargah Bank of the lower Jakhru (जंगल विल)
म नं-16
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम
1 मिसे/मि वीएसडी/मि अर्चना/मि वीएसडी/मि
2 मिसे/मि वीएसडी/मि अर्चना/मि वीएसडी/मि
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल विल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जोरख अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांक 26/1/17 अर्चना शर्मा
वाड समिति वाड नं०
वाड नं०

* ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

attested copy

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जयपुर
प्रतिलिपी प्रस्ताव

संख्या 5

दिनांक 26/6/15

ग्राम सभा जयपुर की बैठक आज दिनांक 26/6/15 को 3:30 PM

बजे स्थान जयपुर में श्री/ श्रीमति अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें काँस्टेबल जयपुर गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल विल जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर किता विभाग द्वारा कुम्भलगढ़ फायर ब्रिगेड रोड के निर्माण के लिए 0.012 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
✓ 1	<u>C/o Ambale row and fire brigade road</u>	<u>जंगल किता</u>	<u>(0.012)</u>
	<u>Plot No 110 Building in Bury Bank of Ambale</u>		
	<u>Raku in ON-16</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०सं० 2 किसी भी तरह दावा/ दावा का दावा नहीं है।

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल विल जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जयपुर

दिनांक 26/6/15

वार्ड समिति

वार्ड नं० 16

सचिव
वार्ड नं० 16

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा जयपुर
प्रधान अश्विनी शर्मा

वन अधिकारी समिति

वार्ड नं० 16

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वार्ड नं० 16 के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

attested copy

Addl. District Magistrate

Sd/-

..(हि०प्र०)

प्रस्ताव संख्या :

511

विभाग 26-6-2019 को वाई नं 16 जारी की गई थी
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16

अनुसूची II को वाई नं 16 जारी की गई है इसका पानी के तहत
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16
 को ठीक मानिये पारित श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा को वाई नं 16

अध्यक्ष प्रमुख
 वाई नं 16
 वाई नं 16

सचिव
 वाई नं 16

प्रधान
 वाई नं 16

क्र.सं.	नाम	पद	संकेत
1	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
2	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
3	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
4	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
5	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
6	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
7	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
8	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
9	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16
10	श्री मोहन चन्दरनाथ शर्मा	अध्यक्ष	16

Executive Engineer
 Road's & Building Dept.
 M.C. SHIMLA